मेसर्स शिवनाथ राय हरनारायण (इंडिया) लिमिटेड

बनाम

मेसर्स अब्दुल गफ्फार अब्दुल रहमान (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि

(मध्यस्थता याचिका संख्या 4/2007)

मार्च 10, 2008

(न्यायाधिपति एच. के. सेमा)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन की पोषणीयता - जब विवाद के समाधान के लिए स्थान सिंगापुर और UNICITRAL नियम लागू होगे- अभिनिर्धारित किया गया है किः आवेदन पोषणीय नही है व गलत धारित है- पक्षकार विवाद को सिंगापुर स्थित मध्यस्थ, जिसके द्वारा अवार्ड पारित किया गया था, उसके पास भेजने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए थे- जो कि सिंगापुर स्थित उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ अपास्त कर दिया गया- इसलिए, मात्र सिंगापुर स्थित न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाही बावत् क्षेत्राधिकार है तथा उस इकरारनामो से संबंधित आवेदन केवल उसी न्यायालय मे किया जाना है।

2. पक्षकार एक पारस्परिक समझौते द्वारा विवाद को समाधान के लिए सिंगापुर स्थित मध्यस्थ एस0एम0 को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए UNICITRAL नियम लागू होने थे, हालांकि समझौता इकरारनामा भारतीय कानून द्वारा शासित था।

मध्यस्थ एस0एम0 ने मध्यस्थता को सिंगापुर मे ही आगे बढाया और आवेदक के पक्ष मे अवार्ड पारित किया।

प्रत्यर्थी ने अवार्ड को चुनौती दी। सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारो को नए सिरे से मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ अवार्ड को अपास्त कर दिया। हालांकि, आवेदक ने सिंगापुर स्थित मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता के लिए आवेदन नही किया बल्कि मध्यस्थता व सुलह अधिनियम,1996 की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया है।

3. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन पोषणीय है?

आवेदन खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1.1 हस्तगत प्रकरण मे पक्षकार आपसी सहमति से विवाद को समाधान हेतु सिंगापुर स्थित मध्यस्थ, एस एम को रेफर करने के लिए सहमत हुए थे। मध्यस्थ द्वारा सिंगापुर मे अवार्ड पारित किया गया था और अवार्ड सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया इसलिए एकमात्र सिंगापुर स्थित न्यायालय को ही सभी मध्यस्थता कार्यवाही का क्षेत्राधिकार है व उस इकरारनामे से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन उसी न्यायालय में किए जाएगें और किसी अन्य न्यायालय मे नही ।

1.2 सिंगापुर स्थित मध्यस्थ को विवाद रेफर करने के लिए सहमत होते हुए आवेदक को पलटने व यह कहने की अनुमति नही दी जा सकती कि यह न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता था। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियो के मध्यनजर अधिनियम की धारा 11(6) के तहत इस न्यायालय के समक्ष आवेदन गलत पेश किया गया है। (पैरा 19 व 20) (600 डी, ई)

राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम गेनस ट्रेडिंग लिमिटेड, 2007(5) एस.सी.सी.692- विपरीत मत दिया गया था

मूल दीवानी क्षेत्राधिकारः मध्यस्थ याचिका संख्या 4/2007

डा0 ए.एम. सिंधवी, विजय हंसारिया, पुनीत दत्त त्यागी, आवेदक के लिए।

कैलाश वासदेव, मेसर्स प्रदीप संचेती, राजीव अग्निहोगी, प्रवीण कुमार, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय एच0के0सेमा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

(1) यह मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 11(6) के तहत दायर एक आवेदन है।

(2) मेरे दवारा आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी और उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव को विस्तार से सुना गया।

(3) इस याचिका में विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन सुनवाई योग्य है?

(4) जिस आदेश को मैं पारित करने का प्रस्ताव करता हूं, उसको मध्यनजर रखते हुए, हस्तगत आवेदन दाखिल करने के लिए सम्पूर्ण तथ्यों को बताना आवश्यक नहीं है।

(5) यह कहना पर्याप्त है कि संविदा संख्या 2001-एसआई/25, 2001-एसआई/26 दोनों दिनांकित 12 जनवरी 2001 और संविदा संख्या 2001-एसआईआई/41 दिनांकित 28 फरवरी 2001 को एक सामान्य परिशिष्ट के माध्यम से संशोधित किया गया था। एक परिशिष्ट दिनांकित 2 मार्च, 2001 के द्वारा खंड (II) जोड़ा गया था। जो की निम्न प्रकार है:

"(II) भारतीय मध्यस्थता परिषद, दिल्ली के माध्यम से विवादों का निपटारा।"

(6) विवाद उत्पन्न होने और दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार मामला श्री सैमुअल जे मार्शल को भेजा गया था, जो लेनदेन में दोनों पक्षों के लिए एजेंट थे और जो पार्टियों के बीच मध्यस्थता करने के लिए भी सहमत थे। श्री सैमुअल जे. मार्शल के हस्तक्षेप से, दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ। समझौता दिनांक 18.1.2002 को किया गया था। समझौते का खंड 18 निम्न प्रकार है:

"18.यदि कोई विवाद या गैर कार्यान्वयन उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय केवल श्री सैमुअल जे. मार्शल द्वारा किया जाएगा।"

(7) दिनांक 12.11.2002 के पत्र से भी यह दर्शित होता है और 21.11.2002 को स्वीकार किए अनुसार पक्षकार निम्नलिखित शर्तों के तहत विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं:

1. यह कि विवाद का समाधान स्थल सिंगापुर होगा, यह मानते हुए कि श्री मार्शल वहां के निवासी हैं, वैकल्पिक रूप से यूके होगा;

2. यह कि 18 जनवरी 2002 का समझौता भारत के कानून द्वारा शासित हैय और

3.UNICITRAL नियम लागू होंगे.

(8) उपरोक्त समझौते के अनुसार, जनवरी 2004 में मध्यस्थ श्री सैमुअल जे. मार्शल के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। हालाँकि, यहाँ उत्तरदाताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लिया। 20.6.2005 को, मध्यस्थ ने सिंगापुर में मध्यस्थता को आगे बढ़ाया और आवेदक के पक्ष में अवार्ड पारित किया।

(9) अवार्ड दिनांकित 20.6.2005 से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर मूल प्रस्ताव संख्या 35/2005/एच में सिंगापुर गणराज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अवार्ड को चुनौती दी। दिनांक 31.7.2006 को, सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने पक्षों को नए सिरे से मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की छूट देते हुए अवार्ड को रद्द कर दिया। यह निर्विवाद है कि आवेदक ने सिंगापुर में मध्यस्थ के समक्ष नए मध्यस्थता के लिए आवेदन नहीं किया है। हालाँकि, यह आवेदन इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11(6) के तहत दायर किया गया है

(10) आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी का कहना था कि समझौता भारतीय कानून द्वारा शासित होता है और इसलिए, भारतीय कानून होगा और इस प्रकार, यह न्यायालय धारा 11(6) के तहत शक्ति का प्रयोग करके मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव का कहना है कि धारा 11(6) के तहत यह आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि पक्षकारो ने सिंगापुर में मध्यस्थ श्री सैमुअल जे. मार्शल को संदर्भित किया है। यह अवार्ड श्री मार्शल द्वारा सिंगापुर में पारित किया गया था और इस अवार्ड को सिंगापुर के उच्च न्यायालय द्वारा नए मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ रद्द कर दिया गया था और इसलिए, आवेदन करने के लिए उपयुक्त न्यायालय सिंगापुर का न्यायालय है और यह आवेदन गलत है।

(11) यह तथ्य विवादित नहीं है कि पार्टियों ने आपसी समझौते से विवाद को श्री सैमुअल जे. मार्शल के पास भेज दिया। श्री सैमुअल जे. मार्शल मध्यस्थता के साथ आगे बढ़े और दिनांक 20.6.2005 को अवार्ड पारित किया, जिसे दिनांक 31.7.2006 को सिंगापुर के उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

(12) अधिनियम की धारा 2(1)(ई) न्यायालय को परिभाषित करती है। इसमें लिखा है:

> "(ई) "न्यायालय" का अर्थ है किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार का प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें अपने सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसके पास मध्यस्थता की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार है। यदि वह किसी मुकदमे का विषय-वस्तु रहा हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख दीवानी न्यायालय या लघु वाद न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी दीवानी न्यायालय शामिल नहीं है"

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। जिसमें लिखा है:

> "क्षेत्राधिकार.- इस भाग में या कुछ समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून में कहीं भी निहित होने के बावजूद, जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में इस भाग के तहत कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, उस न्यायालय के पास अकेले ही मध्यस्थता कार्यवाही का क्षेत्राधिकार होगा और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में की जाएंगी और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएंगी।"

(13) धारा 42 में यह प्रावधान है कि, इस भाग में कही भी वर्णितानुसार या किसी अन्य समय लागू विधि में वर्णित होने के बावजूद, जहां एक मध्यस्थ समझौते के संबंध में इस भाग के तहत कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, उस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद

के आवेदनों पर अकेले ही क्षेत्राधिकार होगा और मध्यस्थता कार्यवाही उसी न्यायालय में की जाएगी और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी।

(14) वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, दोनों पक्ष सिंगापुर में विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थ, श्री सैमुअल जे. मार्शल को संदर्भित करने पर सहमत हुए। मध्यस्थ का अवार्ड सिंगापुर में पारित किया गया। मध्यस्थ के फैसले को सिंगापुर के उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसलिए, मेरे विचार में, सिंगापुर की अदालत, जिसके पास अकेले मध्यस्थ कार्यवाही का क्षेत्राधिकार होगा और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन उसी न्यायालय में किए जाएंगे और कोई अन्य न्यायालय नहीं.

(15) अपने तर्क के समर्थन में, डॉ. सिंघवी ने इस न्यायालय के फैसले राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम गेन्स ट्रेडिंग लिमिटेड, (2007) 5 एससीसी 692 का हवाला दिया। उस मामले में समझौते का खंड 17 मध्यस्थता से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि विवाद को बातचीत और आपसी समझौते से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा और यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है विवादग्रस्त मामले को निपटाने हेतु हांगकांग स्थित माध्यस्थ को रेफर किया जाएगा, जिसके द्वारा मामले का मध्यस्था और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार हल किया जाएगा।

(16) उस मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या भारत के बाहर होने वाली मध्यस्थता पर अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थता के संबंध में लागू होगी? उस मामले में तर्क यह था कि चूंकि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर था, धारा 11 लागू नहीं होगी और इसलिए, न तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और न ही उनके पदनाम के पास मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(17) उपरोक्त उद्ध्र को निर्णय के पैराग्राफ 9 में निम्नानुसार खारिज कर दिया गया है: -

"9. व्याख्या के नियमों के अनुसार खंड को सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में पढ़ा जाना आवश्यक है, सिवाय इसके कि इससे कोई बेतुकापन पैदा हो। किसी शब्द या खंड के किसी भी हिस्से को अर्थहीन अधिशेष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब वह इसके अनुरूप हो खंड के अन्य भाग और पार्टियों के विशिष्ट इरादे को व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से पढ़ने पर, मध्यस्थता खंड यह स्पष्ट करता है कि विवादित मामले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (या कोई वैधानिक संशोधन, अधिनियम या उसका संशोधन) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए रेफर किया जाएगा और अंततः हल किया जाएगा। और मध्यस्थता का स्थान हांगकांग होगा। यह व्याख्या मध्यस्थता खंड के किसी भी भाग को अर्थहीन या निरर्थक नहीं बनाती है। केवल इसलिए कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गये हैं कि मध्यस्थता का स्थान हांगकांग होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि हांगकांग में लागू कानून लागू होंगे। मध्यस्थता खंड में कहा गया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 (एक भारतीय कानून) लागू होगा। इसलिए, उक्त अधिनियम मध्यस्थ की नियुक्ति, विवादों के संदर्भ और मध्यस्थ की नियुक्ति के चरण से लेकर निर्णय दिए जाने और निष्पादितध्प्रभावी होने तक मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया और प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा।"

(18) मेरे विचार में, उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। मामले के तथ्य, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, समझौते के

पक्षकार विवाद को मध्यस्थ श्री सैमुअल जे. मार्शल के पास भेजने पर सहमत हुए। यह अवार्ड सिंगापुर में उक्त मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया था। सिंगापुर के उच्च न्यायालय द्वारा नए मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ अवार्ड को भी रद्द कर दिया गया था।

(19) विवाद को सिंगापुर में मध्यस्थ के पास भेजने पर परस्पर सहमति होने के बाद, आवेदक को पलटकर यह कहने की अनुमति नहीं है कि यह न्यायालय मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

(20) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मध्यनजर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन गलत दायर किया गया है। तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है। कोई खर्चा देय नही होगा।

एन.जे. प्रार्थना पत्र खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनीता चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।